UPSM010135522024

Presented on : 26-11-2024
Registered on : 26-11-2024
Decided on : 23-07-2026

न्यायालय– अपर जनपद न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शामली।

उपस्थितः– सुरेन्द्र कुमार राय (एच0 जे0 एस0)

(J.O. CODE UP–1761)

Civil Revision/7/2024

चरत कुमार बंसल पुत्र श्री राजकुमार बंसल निवासी अस्पताल रोड, शामली, जिला शामली।

––––––निगरानीकर्ता/डिक्रीदार

बनाम

1. श्रीमती ईश्वरी देवी पत्नी स्व० श्री प्रेमचन्द (जो दौरान इजराय मर गयी हैं)
2. संजय पुत्र स्व० श्री प्रेमचन्द
3. विजय पुत्र स्व० श्री प्रेमचन्द
4. गीता रानी पुत्री स्व० श्री प्रेमचन्द

जाति कश्यप समस्त निवासीगण निकट एटलस धर्मकांटा देहली रोड, शामली, जिला शामली।

–––––––रेस्पाण्डेन्ट/ मदयूनान

निर्णय

1. प्रस्तुत सिविल निगरानी अंतर्गत धारा 115 सी०पी०पी० इजराय वाद सं०–13/2012 चरत कुमार बंसल बनाम प्रेमचन्द आदि में न्यायालय सिविल जज (सी०डि०), शामली द्वारा पारित आदेश व **आदेश दिनांकित 22.11.2024 के** विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने इजराय वाद सं० 13/2012 को निरस्त किया है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य यह है कि डिक्रीदार चरत कुमार बंसल पुत्र श्री राजकुमार बंसल निवासी अस्पताल रोड शामली जिला शामली द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष इजराय वाद सं० 13/2012 न्यायालय सिविल जज (सी०डि०) कैराना द्वारा **मूल वाद सं० 15 सन 2007 में पारित निर्णय/डिक्री दिनांकित 29.08.2012** के निष्पादन हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांकित 22.11.2024 के माध्यम से उक्त **इजराय वाद सं० 13/2012 को** निरस्त किया है, जिसे क्षुब्ध होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानीकर्ता/डिक्रीदार द्वारा निगरानी में यह आधार लिया गया है कि, प्रश्नगत आदेश कतई गलत एवं तथ्यों व वाक्यात के विपरीत है, जो किसी प्रकार से काबिले कायमी नहीं है। प्रश्नगत निर्णय व आदेश तर्क संगत नहीं है और कतई नोन स्पीकिंग है। प्रश्नगत निर्णय व आदेश पारित करते समय माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यो व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो का अवलोकन नहीं किया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत निर्णय व आदेश पारित करते समय उस क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया है, जो उसमे निहित नहीं है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग इल्लीगली मैटीरियल इररेगूलरटी के साथ किया हैं। प्रश्नगत निर्णय व आदेश सरमाईजिज व कन्जक्चर्स पर आधारित है। प्रश्नगत निर्णय व आदेश के बने रहने से डिक्रीदार निगरानीकर्ता की सख्त हकतलफी है। **मूल वाद सं0 15 सन 2007 चरत कुमार बनाम प्रेमचन्द व उसमे पारित जजमेन्ट आर्डर एण्ड डिक्री तथा उससे उत्पन्न सिविल अपील सं० 92 सन 2012 प्रेमचन्द बनाम चरत कुमार से स्पष्ट है कि पक्षकारो मे विवाद इकरारनामा दिनांकित 04.11.2004 व तौसी मियाद इकरारनामा दिनांकित 31.10.2005 की बाबत था।** डिक्रीदार का वाद सं० 15 सन 2007 माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2012 को डिक्री किया गया। **पक्षकारो का कथन भी उपरोक्त इकरारनामा दिनांकित 04.11.2004 व तौसी मियाद इकरारनामा दिनांकित 31.10.2005 के पक्ष व विपक्षी मे दौरान मूल वाद सं0 15 सन 2007 व सिविल अपील सं0 92 सन 2012 रहा है अर्थात् वाद व अपील में केवल और केवल रजिस्टर्ड इकरारनामा दिनांकित 04.11.2004 व तौसी मियादनामा दिनांकित 31.10.2005 का ही विवाद रहा है। मूल वाद तथा उससे उत्पन्न सिविल अपील के निर्णयो मे** कही–कही **टाईपिंग मिस्टेक के कारण 31.10.2005 के स्थान पर 21.10.2005 टाईप हो गया है।** टाईपिंग मिस्टेक के कारण मूल वाद व सिविल अपील के **निर्णयों मे अंक–3 की जगह अंक–2 टाईप होने के कारण 31.10.2005 के स्थान पर 21.10.2005 टाईप हो गया है।** मूल वाद व अपील के उपरोक्त निर्णयो मे उपरोक्त मामूली टाईपिंग मिस्टेक अर्थात् अंक–3 के स्थान पर अंक–2 के टाईप होने का डिक्रीदार या उसकी इजराय के विरूद्ध कोई प्रभाव नहीं है। इजराय की पत्रावली पर उपलब्ध मूल वाद में दाखिल कागजात की सूची कागज सं0 73ग/12 है, जिसमे कागज सं० 2 से यह स्पष्ट है कि तौसी मियादनामा दिनांक 31.10.2005 का है जो माननीय अधीनस्थ न्यायालय में कागज सं० 8क के रूप में दाखिल किया गया था। डिक्रीदार की उक्त इजराय दिनांक 20.11.2012 अर्थात् अरसा जायद 12 साल से विचाराधीन है जिसमे मदयूनान नाना प्रकार के प्रार्थना पत्रो के द्वारा विलम्ब कारित करते रहे है और इजराये को निर्णित नहीं होने दिया। यहां पर यह उल्लेख किया जाना अत्यन्त आवश्यक है कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट व माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय–समय पर यह विधि व्यवस्थाएं दी गयी है कि इजराय का निस्तारण शीघ्र अति शीघ्र किया जाना चाहिये। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केस सं0–

1659 सन 2021 राहुल एस० शाह बनाम जिनेन्द्र कुमार गांधी मे यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि इजराय 6 माह मे निर्णित होनी चाहिये जो निम्नलिखित है:– Execution proceedings– Delay–Executing court must dispose of Execution Proceedings within six months from date of filing.

वर्तमान मामले मे माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा भी दिनांक 16.08.2018 को यह आदेश पारित किया गया था कि expeditiously as possible dispose off. माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपने प्रश्नगत निर्णय व आदेश मे यह माना है कि कोई तौसी मियाद इकरारनामा दिनांकित 21.10.2005 पक्षकारो के मध्य नहीं लिखा है और पक्षकारो के मध्य केवल इकरारनामा दिनांकित 04.11.2004 व तौसी मियादनामा इकरारनामा दिनांकित 31.10.2005 लिखा गया है तथा यह भी माना है कि तौसी मियादनामा दिनांकित 21.10.2005 लिखा ही नहीं गया है इसलिए उसे दाखिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त मात्र मामूली टाईपिंग मिस्टेक अर्थात् अंक–3 के स्थान मूलवाद के आदेश व निर्णय में अंक–2 टाईप हो जाने को आधार मानते हुये डिक्रीदार की इजराय आरबीट्रेरी तरीके से खारिज की है। यहां पर यह तथ्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि मदयूनान ने इजराय मे विलम्ब कारित करने के लिये एक प्रार्थना पत्र–66 ग व 99 क इस आशय के प्रस्तुत किये थे कि मूल पत्रावली तलब हुये बिना डिक्रीदार के हक मे कोई बैनामा न किया जाये तथा डिक्रीदार से तौसी मियादनामा दिनांकित 21.10.2005 की प्रति दाखिल करायी जाये। डिक्रीदार की तरफ से प्रार्थना पत्र–72 ग में सभी तथ्यो का उल्लेख करते हुये माननीय अधीनस्थ न्यायालय से यह याचना की गयी थी कि प्रार्थना पत्र 66 ग को निरस्त करते हुये तथा तौसी मियादनामा दिनांकित 21.10.2005 को दाखिल करने की जिम्मेदारी से डिक्रीदार को मुक्त करते हुये इजराये हाजा मे प्रस्तुत ड्राफ्ट सेल डीड को पुष्ट किया जाकर डिक्री के हक में बैनामा कराया जावे। यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि मूल वाद व आदेश की पत्रावली माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट मे विचाराधीन सैकिण्ड अपील मे तलब है। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोई पत्रावली मंगाया जाना न तो न्यायोचित है और न ही व्यवहारिक है। डिक्रीदार बडे सम्मान के साथ यह निवेदन करना चाहता है कि विवादित सम्पत्ति का बैनामा करने के लियें केवल इकरारनामा महायदा बय जिसमे सभी शर्ते व विवरण सम्पत्ति उल्लेखित है, तथा मूल वाद सं0 15 सन 2007 तथा सिविल अपील सं0 92 सन 2012 में पारित डिक्री के प्रकाश में बैनामा माननीय न्यायालय द्वारा किया जाना है। यहां पर यह तथ्य अत्यन्त उल्लेखनीय है कि रजिस्टर्ड इकरारनामा दिनांकित 04.11.2004 की प्रमाणित प्रति तथा वाद सं० 15 सन 2007 के निर्णय व डिक्री तथा सिविल अपील सं० 92 सन 2012 मे पारित निर्णय की नकले दाखिल कर रखी है जिससे यह स्पष्ट है कि विवादित सम्पत्ति का बैनामा डिक्रीदार के हक मे होना है। वादपत्र के

अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि वाद केवल इकरारनामा दिनांकित 04.11.2004 व तौसी मियादनामा दिनांकित 31.10.2005 की बाबत है। इस विषय मे वादी द्वारा अपने वाद पत्र मे चाहा गया अनुतोष निम्नलिखित है कि **वादी को आदेशित किया जावे कि वह अन्दर मियाद मोअना अदालत वादी से अंकन 72,000/– बहात्तर हजार रूपये प्राप्त करके उसके हक मे इकरारनामा महायदा बय दिनांक 04.11.2004 व इकरारनामा तौसी मियाद दिनांक 31.10.2005 की शर्तों के अनुसार विवादित सम्पत्ति का बैनामा वादी के हक मे निष्पादित करके उस पर वादी का कब्जा करा दे, उसके ऐसा न करने पर यह बैनामा द्वारा अदालत वादी के हक मे निष्पादित किया जावे,** जिससे स्पष्ट है कि 31.10.2005 के स्थान पर 21.10.2005 टाईप होना केवल टाईपिंग मिस्टेक है और किसी भी टाईपिंग मिस्टेक के कारण किसी भी डिक्रीदार की इजराय को खारिज किया जाना किसी प्रकार भी न्यायोचित नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय–समय पर यह विधि व्यवस्थाए दी है कि न्यायालय को टैक्निकल नहीं होना चाहिये उनके द्वारा Substantial Justice किया जाना चाहिये तथा ज्यूडिशियल एप्रोच जस्टिस Oriented होनी चाहिये और टैक्निक्रीटी के आधार पर निर्णय पारित नहीं होना चाहिये तथा खिलाफ प्रोसिजर के विषय में भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भगवान स्वरूप आदि बनाम मूल चन्द आदि मे निम्न सिद्धान्त पारित किया है:– The laws of procedure by themselves do not create any impediment or obstruction in the matter of doing justice to the parties. On the other hand, the main purpose and object of enacting procedural laws is to see that justice is done to the parties.

माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी कोई फाईन्डिंग नहीं दी है कि पक्षकारो के मध्य रजिस्टर्ड इकरारनामा तौसी मियाद दिनांकित 31.10.2005 न होकर 21.10.2005 था। बिना उक्त फाईन्डिंग के डिक्रीदार की इजराय मात्र टाईपिंग मिस्टेक के आधार पर खारिज नहीं हो सकती है। पक्षकारो के मध्य यह निर्विवाद है तथा एडमिटिड है कि केवल एक ही तौसी मियादनामा दिनांकित 31.10.2005 की बाबत विवाद है अर्थात् दिनांक 21.10.2005 की बाबत पक्षकारो के मध्य कोई विवाद नहीं है। **माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिभा सिंह आदि बनाम शान्ति देवी प्रसाद के मामले मे निर्णित किया है कि A decree of competent court should not, as far as practicable, be allowed to be defeated on account of an accidental slip or omission.** माननीय अधीनस्थ न्यायालय को डिक्रीदार के प्रार्थना पत्र–72ग पर स्पीकिंग आर्डर पारित किया जाना चाहिये था। Justice का अभिप्राय Substantial Justice से है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि Hon'ble Courts को Technical नहीं होना चाहिये बल्कि पक्षकारों के बीच Substantial Justice किया जाना चाहिये और यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि

hyper technical approach carry the result in miscarrage of justice. प्रस्तुत मामले में यह स्पष्ट है कि मदयून अनावश्यक Technicalties के आधार पर डिक्रीदार को डिक्री के fruits प्राप्त करने नहीं दे रहा है जबकि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार हासिल नहीं है। मदयून द्वारा कही भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि निर्णय में तौसी मियादनामे की तारीख कही कही पर 31.10.2005 के स्थान पर 21.05.2005 टाईप की गलती के कारण गलत टाईप हो जाने से मदयून को क्या हानि है और मदयून इस टाईप की गलती से किस प्रकार ओर कैसे aggrived तथा prejudice है इस कारण भी मदयून द्वारा उठायी गयी टैक्निकल आपत्ति का कोई प्रभाव नहीं है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय की यह फाईडिंग कतई गलत है कि यदि टाईपिंग मिस्टेक है तो डिक्रीदार को उक्त मिस्टेक को दुरूस्त कराने के पश्चात् ही इजराय प्रस्तुत करनी चाहिये थी। डिक्रीदार के प्रार्थना पत्र 72ग के समर्थन मे शपथ पत्र–73ग के विरूद्ध मदयूनान ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है वह Counter affidavit की परिभाषा मे नहीं आता है **इस कारण डिक्रीदार द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र–73ग uncontroverted, unchallanged & unrebutted होने के कारण माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लिखित तथ्यों को सही न मानकर भारी इल्लीगलिटी कमिट की है।** माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री अपीलेट कोर्ट द्वारा पारित डिक्री मे मर्ज हो चुकी है परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की कतई अनदेखी की है। प्रश्नगत निर्णय व आदेश लीगली मेन्टेनेबिल नहीं है। प्रश्नगत निर्णय व आदेश हर प्रकार से निरस्त होने योग्य है। रिवीजनकर्ता डिक्रीदार ने याचना की है कि प्रश्नगत निर्णय व आदेश दिनांक 22.11.2024 निरस्त किया जाकर रिवीजनकर्ता डिक्रीदार का सिविल रिवीजन स्वीकार किया जाकर इजराय मे डिक्रीदार के हक मे बैनामा निष्पादित किया जावे तथा यह कि रिवीजन का कुल खर्चा रिवीजनकर्ता/डिक्रीदार को रैस्पोन्डेन्ट/मदयूनान से दिलाया जावे।

4. अपने कथनों के समर्थन में निगरानीकर्ता की तरफ से प्रलेखीय साक्ष्य में फेहरिस्त कागजात सूची 4ग से नकल आदेश दिनांकित 22.11.2024 इजराय नं० 13 सन 2012, चरत कुमार बंसल बनाम प्रेमचन्द कागज सं० 5ग तथा नकल फार्मल आदेश बाबत दिनांकित 22.11.2022 कागज सं० 6ग की प्रमाणित प्रतियां दाखिल किया है तथा सूची 27ग/1 से **वाद सं० 5/2025 चरत कुमार बंसल बनाम प्रेमचन्द आदि में पारित आदेश दिनांक 19.12.2025 की सत्य प्रतिलिपि कागज सं० 27ग/3 ता 27ग/4,** मूल वाद सं० 15 सन 2007 में पारित संशोधित निर्णय दिनांक 29.08.2012 की सत्य प्रतिलिपि कागज सं० 27ग/6 ता 27ग/9 व संशोधित डिक्री बाबत आदेश दिनांकित 29.08.2012 कागज सं० 27ग/11, 27ग/12 दाखिल किया गया है।

5. जबकि मदयूनान/ रेस्पाण्डेन्ट नं० 1 की तरफ से प्रस्तुत निगरानी के विरूद्ध आपत्ति कागज सं० **23क/1 ता 23क/4** प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि निगरानीकर्ता ने रिविजन उक्त

गलत व असत्य कथन पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। जो काबिले खारिज होने योग्य है। निगरानीकर्ता ने उक्त रिविजन लापरवाही व कानूनी अनभिज्ञता व कानूनी नैगलेजैन्सी से भी से माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। जिसमें रिविजन विपक्षी नं०–01 ईश्वरी देवी पत्नी स्व० श्री प्रेमचन्द के विरूद्ध भी पक्षकार वाद बनाया है। जबकि ईश्वरी देवी की मृत्यु करीब 02 साल पहले दिनांक 16.11.2022 को हो चुकी है। जिसकी बखूबी जानकारी रिविजनकर्ता को शुरू से ही रही है। परन्तु जानकारी होने के बावजूद भी निगरानीकर्ता ने मृतक ईश्वरी देवी के विरूद्ध उक्त रिविजन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। जिसके कारण रिविजन उक्त कानूनन अबेट होने योग्य है और निरस्त होने योग्य है। माननीय लोवर न्यायालय ने आदेश उक्त कानून के प्रावधानों के तहत सही निर्णय पारित किया है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत निर्णय व आदेश पारित करते समय सही क्षेत्राधिकार का कानून के प्रावधानों के तहत ही प्रयोग करते समय उक्त निर्णय पारित किया है जो कायम होने योग्य है। अतः आदेश उक्त कायम रखा जावे। निगरानीकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नहीं आया है तथा दूषित मानसिकता के तहत निगरानीकर्ता/डिक्रीदार अपनी इजराय कराना चाहता है। जिसकी कानूनन इजाजत निगरानीकर्ता को कभी भी नहीं मिल सकती है। निगरानीकर्ता ने विपक्षी नं०–04 गीता रानी जो स्व० प्रेमचन्द की विवाहिता पुत्री है। जो अपने पति के साथ उत्तराखण्ड के रुड़की में अपनी ससुराल में अपने बच्चो के साथ निवास करती है। जिसकी शादी करीब 25 वर्ष पहले विनोद कुमार के साथ हुई है। जिसकी बखूबी जानकारी रिविजनकर्ता को शुरू से ही है। परन्तु निगरानीकर्ता ने गीता का सही पता अपने निगरानी में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे रिविजनकर्ता की दूषित मानसिकता का पता चलता है। रिविजन उक्त की तामील विपक्षी नं०–04 के सही पते पर कराई जानी न्यायहित में जरूरी है। निगरानीकर्ता ने जिस इजराय 13 सन–2012 चरत बनाम प्रेम का इजराय की बाबत निगरानी उक्त माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। उसमें इजरायकर्ता ने अपने वाद पत्र तौसी मियाद इकरारनामा का जिक्र 31.10.2005 कर रखा है तथा जिस निर्णय व आदेश की बाबत इजरायकर्ता अब निगरानीकर्ता अपनी इजराय प्रस्तुत कर रखी है। उसमें डिक्रीदार ने इजराय में तौसी मियाद 21.10.2005 का जिक्र किया है तथा उसी तौसी मियाद इकरारनामा 21.10.2005 के तहत ही इजराय उक्त में माननीय न्यायालय से रिलीफ चाही गयी है। जैसा कि मूल पत्रावली इजराय न०– 13 सन–2012 चरत कुमार बनाम प्रेमचन्द से भी स्पष्ट है। निगरानीकर्ता ने मूल वाद सं०–15 सन–2007 अधीनस्थ न्यायालय दिनांक–29.08. 2012 ने भी तौसी मियाद इकरारनामा 21.10.2005 का अपने निर्णय में जिक्र किया है तथा उक्त आदेश की अपील न्यायालय द्वारा 23.08.2017 में भी तौसी मियाद इकरारनामा 21.10.2005 का ही जिक्र करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को भी पुष्ट किया गया था। जिसकी अब सिविल अपील

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पैडिंग है। जिसकी बखुबी जानकारी निगरानीकर्ता को है। माननीय श्रीमान सिविल जज सी.डी. शामली यानि इजराय न्यायालय में इसी कारण से स्वतः मूल पत्रावली दिनांक–17.09.2018 व 23.01.2019 को तलब करने के आदेश पारित किये थे। जिसकी कोई अपील या निगरानी कभी भी निगरानीकर्ता यानि डिक्रीदार ने प्रस्तुत नहीं की। जिसके कारण उक्त आदेश दिनांक–17.09.2018 व 23.01.2019 का आदेश माननीय न्यायालय सिविज जज सी.डी. शामली एट कैराना का प्रभाव यथावत अभी तक कायम है। इसी प्रकार दिनांक–18.03.2019 को न्यायालय सिविल जज सी.डी. शामली एट कैराना ने इजराय स0–13 सन–2012 चरत कुमार बनाम प्रेमचन्द में आदेश पारित करते हुये डिक्रीदार यानि निगरानीकर्ता को आदेशित किया कि वह तौसी मियाद इकरारनामा दिनांक–21.10.2005 की प्रति अदालत में दाखिल करें जिसे कभी भी निगरानीकर्ता/डिक्रीदार ने इजराय न्यायालय यानि माननीय न्यायालय सिविल जज सी.डी. शामली में तौसी मियाद इकरारनामा की प्रति कभी दाखिल नहीं की और न ही दाखिल करने की डिक्रीदार/निगरानीकर्ता की इच्छा है। निगरानीकर्ता/डिक्रीदार अपने मूल वाद में तौसी मियाद इकरारनामा दिनांक– 31.10.2005 का जिक्र करता है तथा इजराय उक्त जिसके विरूद्ध निगरानी उक्त प्रस्तुत की है। इजराय न0–13 सन–2012 में तौसी मियाद इकरारनामा दिनांक 21.10.2005 के आधार पर रिलीफ प्राप्त करना चाहता है। जिससे स्पष्ट है कि तौसी मियाद इकरारनामा दिनांक–31.10.2005 मैनुपुलेटिड है पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है जोकि आपस में विरोधाभाषी है। यदि तौसी मियाद इकरारनामा दिनांक 31.10.2005 पर निगरानीकर्ता यकीन करता है तो कानूनन निगरानीकर्ता को मूलवाद स0–15 सन–2007 चरत बनाम प्रेमचन्द न्यायालय सिविल जज सी.डी. शामली के आदेश दिनांक–29.08.2012 को दुरस्त कराना चाहिये था जो निगरानीकर्ता ने कभी भी दुरूस्त नहीं कराया जिससे स्पष्ट है। कि माननीय न्यायालय सिविल जज सी.डी. शामली में पारित आदेश व निर्णय दिनांक–29.08.2012 में पारित निर्णय सही है। जिसमें जिक्र तौसी मियाद इकरारनामा दिनांक–21.10.2005 का उल्लेख किया गया है तथा उक्त आदेश को अपील न्यायालय न्यायालय द्वारा भी तौसी मियाद इकरारनामा दिनांक–21. 10.2005 को भी पुष्ट किया गया है। जिसकी अपील माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पैंडिन्ग है। जिसकी तौसी मियाद दिनांक–21.10.2005 की प्रति माननीय न्यायालय सिविल जज सिनियर डिविजन शामली एट कैराना द्वारा आदेश दिनांकित–18.03.2019 के द्वारा तौसी मियाद 21.10.2005 की प्रति दाखिल करने के आदेश डिक्रीदार यानि निगरानीकर्ता को दिये हुवे है। जिसका अनुपालन कभी भी डिक्रीदार / निगरानीकर्ता द्वारा नहीं किया गया है। जिससे इजराय उक्त दूषित है व कानून के खिलाफ है। विपक्षी मदयून ने कभी भी कोई एग्रीमेन्ट निगरानीकर्ता/डिक्रीदार के पक्ष में कभी नहीं किया है और न ही इस बाबत कोई रकम प्राप्त नहीं

की। एग्रीमेन्ट उक्त पर विपक्षी के हस्ताक्षर अंगूठा भी नहीं है। कथित एग्रीमेन्ट प्लॉट का जिक्र है। जबकि मौके पर तामीरात कोठे, लैट्रीन, बाथरूम आदि बना है, जिससे स्पष्ट है कि कथित एग्रीमेन्ट में वर्णित सम्पत्ति मौके पर स्थित नहीं है। माननीय सिविल जज सी.डी. शामली इजराय स0–13 सन–2012 में पारित आदेश दिनांक–22.11.2024 चरत कुमार बनाम प्रेम में इसी तथ्य का उल्लेख करते हुये उक्त निर्णय दिनांक–22.11.2024 पारित किया है। जो कायम रहने योग्य है। निगरानीकर्ता/डिक्रीदार जानबूझकर माननीय न्यायालय को धोखे में रखकर व गुमराह करते हुये जल्द से जल्द अपनी इजराय कराना चाहता है, जबकि तौसी मियाद इकरारनामा की दिनांक 31.10.2005 बताता है। कभी दिनांक तौसी मियाद इकरारनामा दिनांक–21.10.2005 का उल्लेख करता है। जो अपने आप में विरोधाभाषी अभिकथन है। जो कायम रहने योग्य नहीं है। जिसकी वजह से तौसी मियाद इकरारनामा की प्रति अदालत में दाखिल करने का आदेश डिक्रीदार के लिये अधीनस्थ न्यायालय में किये हुये है। जिसका पालन कभी भी निगरानीकर्ता/डिक्रीदार ने कभी नहीं किया हैं। मदनून विपक्षी ने कभी भी इजराय उक्त को तवालत में डालने का मंशा कभी नही रखा है। बल्कि निगरानीकर्ता जानबूझकर नेगलेजेन्सी के कारण ही अपनी इजराय उक्त कराना नही चाहता है। जिसकी इजाजत निगरानीकर्ता को कानूनन कभी भी नहीं मिल सकती है। निगरानीकर्ता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दुरूस्त नहीं कराना चाहता है और अपनी इजराय में विरोधाभाषी कथन कर रहा है और न ही तौसी मियाद 21. 10.2005 की प्रति दाखिल करना चाहता है और विपक्षी को तंग व परेशान कर रहा है। रिविजनकर्ता ने अपनी रिलीफ में डिक्रीदार के हक में बैनामा निष्पादित किया जाने का जिक्र किया है। जबकि निगरानीकर्ता अपने निगरानी के द्वारा आदेश दिनांक–22.11. 2024 को निरस्त कराना चाहता है। जिसका निगरानीकर्ता को कोई हक व अधिकार नही है। निगरानीकर्ता ने विपक्षी न0–01 ईश्वरी देवी के सामने माननीय न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने के पश्चात निगरानी उक्त में माननीय न्यायालय की बिना अनुमति जानबूझकर छेडछाड की गयी है, जिस पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है, जिस कारण भी निगरानीकर्ता के विरूद्ध सरकारी कागजो में छेड़छाड़ करने का आपराधिक वाद अलग से चलाया जाना न्यायहित में जरूरी है। उपरोक्त कारणो से निगरानी खण्डित किये जाने का निवेदन किया गया है।

6. विपक्षीगण की तरफ से अपने कथनो के समर्थन में फेहरिस्त कागजात सूची 28ग से नकल निगरानी सं० 4/2026 विजय कुमार उर्फ बोबी आदि बनाम चरत कुमार बंसल आदि दिनांक 19.01.2026 कागज सं० 28ग/1 ता 28ग/10 की प्रमाणित प्रति दाखिल किया गया है।

7. निगरानीकर्ता की तरफ से माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **MATTERS UNDER ARTICLE 227 No. 1823 of 2025 Santosh and 4 Others Vs Smt. Asha Rani and 7 Others.** Order Dated, 1 July, 2026 पैरा–38 व 39 का हवाला दिया गया है। जिसमें माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह विधि व्यवस्था दी गयी है कि "On a

perusal of the ratio in Pratibha's case (supra) it is apparent that the plaintiff had been remiss in the pleadings in wrongly describing the property at the bottom of the plaint. Had the immovable property been correctly identified, there would have been no vagueness that could have been pleaded in the execution of the decree. Courts of law are ever mindful of the fact that the plaintiff should not be denied the fruits of the decree and if some nebulous question has to be determined in execution proceedings, the Court should not hesitate from doing so. In the present case, undoubtedly pleadings have been made by the plaintiff/respondents in paragraph Nos. 2 and 15 of the plaint that the house in dispute was situated in Mohalla-Siklapur, which was never denied at any point of time by the defendant, except for at the time of execution.

As observed by the Hon’ble Supreme Court in Pratibha Singh's case, the litigant cannot be deprived of the fruits of the decree for accidental slips and omissions. In this case, the slip ought to be said to be accidental and typographical only. The plaintiffs have fought from the trial court to High Court. They could not be deprived of fruits of the decree for such inadvertence. The executing court has committed no error in correcting the description of the property in the decree.”

8. प्रस्तुत निगरानी पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

9. पत्रावली के अनुशीलन से विदित होता है कि प्रश्नगत दीवानी निगरानी निगरानीकर्ता/डिक्रीदार की तरफ से न्यायालय सिविल जज (सी०डी०) शामली द्वारा इजराय वाद सं० 13 सन 2012 में पारित आदेश दिनांकित 22.11.2024 के विरूद्ध संस्थित की गयी है। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 115 पुनरीक्षण को प्रावधानित करती है। उक्त के अनुसार निचली अदालत के आदेश के खिलाफ CPC की धारा 115 के तहत रिविज़न (पुनरीक्षण) तभी हो सकता है जब नीचे दी गई शर्तों में से कोई एक पूरी हो:

(i) आदेश के खिलाफ अपील न की जा सकती हो।

(ii) आदेश अधिकार–क्षेत्र (jurisdiction) के बिना दिया गया हो।

(iii) अधिकार–क्षेत्र होने के बावजूद आदेश न दिया गया हो।

(iv) आदेश अधिकार–क्षेत्र के भीतर तो दिया गया हो, लेकिन वह गैर–कानूनी हो।

(v) आदेश एक अंतिम आदेश होना चाहिए।

(vi) आदेश ऐसा हो जिससे न्याय न हो पाया हो या अपूर्णीय क्षति (irreparable injury) हुई हो।

10. उभयपक्ष के तर्कों के आलोक में इजराय वाद सं० 13/2012 की मूल पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने आदेश में यह विश्लेषण किया है कि '

प्रस्तुत मामले में डिक्रीदार ने खुद संस्वीकृत किया है कि पक्षकारों के मध्य तौसी मियाद 21.10.2005 लिखा ही नहीं गया था। यदि उक्त त्रुटि टाईपिंग की त्रुटि है **तो डिक्रीदार को उक्त त्रुटि दुरस्त कराने के उपरांत ही इजराय प्रस्तुत करनी थी।** प्रस्तुत मामले में स्वयं डिक्रीदार के द्वारा किये गये कथनों के ही विरूद्ध कथन अपने स्पष्टीकरण कागज सं०–72ग में कर रहा है। उस स्पष्टीकरण शपथपत्र से समर्थित है। उपरोक्त समस्त के आधार पर उक्त पर औचित्यहीन हो जाती है एवं निरस्त किये जाने योग्य है।' विद्वान अवर न्यायालय द्वारा इजराय वाद सं० 13/2012 को इस आधार पर निरस्त किया है कि तौसी मियाद की तिथि 31.10.2005 के स्थान पर 21.10.2005 अंकित है। उक्त टाईपिंग त्रुटि का सुधार डिक्रीदार द्वारा नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई आधार इजराय वाद को निरस्त किये जाने का नहीं उल्लिखित है।

11. निगरानी प्रार्थना पत्र के समर्थन में निगरानीकर्ता की तरफ से जरिये सबूत सूची 27ग/1 से वाद सं० 5/2025 चरत कुमार बंसल बनाम प्रेमचन्द आदि में पारित आदेश दिनांक 19.12.2025 की सत्य प्रतिलिपि कागज सं० 27ग/3 ता 27ग/4, मूल वाद सं० 15 सन 2007 में पारित संशोधित निर्णय दिनांक 29.08.2012 की सत्य प्रतिलिपि कागज सं० 27ग/6 ता 27ग/9 व संशोधित डिक्री बाबत आदेश दिनांकित 29.08.2012 कागज सं० 27ग/11, 27ग/12 दाखिल किया गया है। उक्त अभिलेखीय साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन करने पर विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विविध वाद सं० 5/2025 (संबंधित मूल वाद सं० 15/2007) चरत कुमार बंसल बनाम प्रेम कुमार आदि के संबंध में दिनांक 19.12.2025 को आदेश पारित किया गया है। वह आदेश निम्नवत हैः–

प्रार्थनापत्र कागज सं० 14 ग स्वीकार किया जाता है। मूलवाद चरत कुमार बनाम प्रेमचन्द में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 29.08.2012 एवं उसके फलस्वरूप पारित डिक्री में भी तौसी मियाद इकरारनामा की दिनांक जहां–जहां 21.10.2005 लिखी है, को दुरस्त कर 31.10.2005 किया जाये। तदानुसार प्रार्थनापत्र निस्तारित किया जाता है।

विविध वाद सं० 5/2025 में पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा मूल वाद में पारित निर्णय दिनांकित 29.08.2012 तथा उक्त निर्णय के अनुक्रम में बनी डिक्री दिनांकित 10.09.2012 में भी यथोचित स्थान पर संशोधन किया जा चुका है। अतः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा इजराय प्रार्थनापत्र को निरस्त करने का जो आधार उल्लिखित किया था, उस आधार को स्वयं अवर न्यायालय द्वारा मूल वाद में पारित निर्णय एवं डिक्री में संशोधित किया जा चुका है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा इंगित टाईपिंग की त्रुटि को स्वयं अवर न्यायालय द्वारा संशोधित किया जा चुका है। धारा 115 CPC (as inserted in UP since 01.07.2002) की उपधारा 3(iii) यह प्रावधानित करती है कि **(iii) the order, if allowed to stand, would**

occasion a failure of justice or cause irreparable injury to the party against whom it is made.

12. प्रश्नगत प्रकरण में यह स्पष्ट है कि जिस आधार पर इजराय वाद सं० 13/2012 को निरस्त किया गया था उक्त आधार को स्वयं उनके द्वारा विविध वाद सं० 5/2025 (संबंधित मूल वाद सं० 15/2007) चरत कुमार बंसल बनाम प्रेम कुमार आदि के संबंध में दिनांक 19.12.2025 द्वारा पारित आदेश द्वारा परिमार्जित किया जा चुका है। अतः विद्वान अवर न्यायालय के आदेश दिनांकित 22.11.2024 का आधार समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति में यदि उक्त आदेश को खण्डित नहीं किया जाता है तो यह न्याय की विफलता होगी तथा निगरानीकर्ता को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 22.11.2024 खण्डित किये जाने योग्य है। तदनुसार निगरानी स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित–**22.11.2024** खण्डित किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ अविलम्ब वापस प्रेषित की जाये। विद्वान विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि निर्णय के आलोक में पुनः सुनवाई कर उसका निस्तारण गुण–दोष के आधार पर करना सुनिश्चित करें। पक्षकार दिनांक 03.08.2026 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। बाद आवश्यक कार्यवाही निगरानी पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः23.07.2026

(सुरेन्द्र कुमार राय)
(JO CODE UP–1761)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम शामली।

निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः23.07.2026

(सुरेन्द्र कुमार राय)
(JO CODE UP–1761)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम शामली।